प्र. स. .... /दावा/प्र.पत्र/...............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/9/25	वकील प्रार्थी उप। हुक्म प्रा. पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 24/9/25 को पेश हो।
24/9/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी द्वारा स्वयं कि खातेदारी भूमि ख.सं. 8 रकबा 0.1942 हैक्टे, ख.सं. 9 रकबा 0.0324 हैक्टे, ख.सं. 10 रकबा 0.1862 हैक्टे, व ख.सं. 7 रकबा 1.1830 हैक्टे, वाके ग्राम जाल की झोपड़िया पटवार हल्का किशुदा में स्थित है जिसके आस-पास अप्रार्थीगण की भूमि है। अप्रार्थीगण द्वारा आज से पचास पूर्व ताकत के बल पर विवादित आराजी के चारों ओर कब्जा कर लिया है और प्रार्थी को बेदखल कर दिया है तथा तब से वर्तमान तक अतिक्रमी कि इसिया से काबिज काश्त कर रहे है। जमीन का लाभ प्राप्त कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के मध्य में रास्ता कायम करने का प्रयास किया तब प्रार्थी कि पत्नी द्वारा पुलिस थाना तालेड़ा में प्रार्थना पत्र दिनांक 10.5.2022 को प्रस्तुत किया गया लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। वाद विचरण में काफी समय लग जाना सम्भावित है ऐसी स्थिति में दौरान वाद अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से रास्ता कायम नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद तामिल कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करने एवं अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 14.6.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं. 31 वाके ग्राम जाल की झोपड़िया संवत् 2076, भू-नक्शा, शिकायत पत्र दिनांक 20.5.2022 व 10.5.2022 पेश किये। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
दोहराया गया। कोई नवीन तथ्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। बहस उभयपक्ष समाहत की गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड नकल जमाबन्दी खाता सं. 31 वाके ग्राम [illegible] संवत् 2076, मु.नक्शा, शिकायत पत्र दिनांक 20-5-2022 व 10-5-2022 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि है किन्तु वादी का यह कथन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर चारों ओर से कब्जा कर लिया है, अप्रार्थीगण प्रार्थी के भूमि के मध्य से रास्ता निकालने पर आमादा है बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी द्वारा कब्जा किया गया वो किस्म। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ना तो सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्रस्तुत की, ना ही पत्थरगढ़ी की रिपोर्ट जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थी की भूमि पर कब्जा हुआ है, ना ही प्रार्थी द्वारा रास्ता बनाये जाने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तामील बाद मूल वाद के संलग्न हो।	
[signature]	